दिनांक 12 मार्च 2023 **स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई**

अनाधिकृत विकास व निर्माण के नियमितीकरण को लेकर सख्त हुआ निगम प्रशासन, वार्ड वार हुई समीक्षा, नियमितीकरण का फायदा लेने के लिए समय कम, शीघ्र ही कर ले अप्लाई, अन्यथा रह जाएंगे वंचित और कार्यवाही की लटकेगी तलवार

- भिलाई नगर/ अनाधिकृत विकास व निर्माण के नियमितीकरण को लेकर निगम प्रशासन सख्त हो गया है। इसके दायरे में आने वाले सभी को नियमितीकरण कराना होगा। नियमितीकरण नहीं कराने वालों पर कार्यवाही भी होगी। अनाधिकृत विकास व निर्माण का नियमितीकरण कराने के लिए बहुत ही कम समय बचे हुए हैं , इस समय का फायदा उठाते हुए नियमितीकरण के लिए आर्किटेक्ट के माध्यम से शीघ्र आवेदन करना होगा अन्यथा कार्यवाही तय है। इसलिए शीघ्र ही नियमितीकरण के लिए अप्लाई कर ले और कार्यवाही से बचें। अनाधिकृत विकास व निर्माण के नियमितीकरण के लिए आज निगम आयुक्त रोहित व्यास ने गहन समीक्षा की और वार्ड वार इसकी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि शासन की महत्वकांक्षी योजना के तहत नियमितीकरण की प्रक्रिया अभी जारी है, इसका लाभ सभी को लेना चाहिए। सहायक राजस्व निरीक्षक तथा वास्तुविद स्तर पर भी आवेदनों की समीक्षा बैठकों में की जायेगी और इस आधार पर कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी तय होगी। अनाधिकृत विकास व निर्माण के नियमितीकरण के दायरे में लाने के लिए अधिक से अधिक लोगों से संपर्क करने के निर्देश बैठक में आयुक्त ने दिए। उल्लेखनीय है कि 14 जुलाई 2022 से अनाधिकृत विकास व निर्माण के नियमितीकरण के तहत आवेदन लेने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है और इस तिथि से 1 वर्ष बाद तक ही नियमितीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस मुताबिक नियमितीकरण के आवेदन के लिए बहुत ही कम समय शेष है बल्कि कुछ महीने ही बचे है। आयुक्त ने बैठक में राजस्व अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि नियमितीकरण के दायरे में लाने के लिए फील्ड स्तर पर हर संभव प्रयास करें , राजस्व के कर्मचारी इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरते। आज की बैठक में नगर तथा ग्राम निवेश के सहायक संचालक प्रतीक दीक्षित , अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी , जोन आयुक्त राजेंद्र नायक, येशा लहरे, पूजा पिल्ले तथा खिरोद्र भोई, जोन के समस्त राजस्व विभाग के कर्मचारी तथा निगम क्षेत्र के वास्तुविद बैठक में मौजूद रहे।